न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्याः–190/2022
जीसी एम एस न0 2022/704

दर्ज दिनांक 02.08.2022
निर्णय दिनांक 06.06.2023

रतनलाल पुत्र बालु उम्र 60 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम बागोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

आवेदकगण

बनाम

1. नागरमल पुत्र गीगाराम
2. बदरीराम पुत्र गीगाराम
3. बनवारी पुत्र चुन्नीलाल
4. मोहन पुत्र गीगाराम
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज.)

जातियान माली निवासीगण ग्राम बागोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अनावेदकगण

प्रार्थना–पत्र अस्थाई व्यादेश
निर्णय

दिनांक 06.06.2023

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आश्य का पेश किया है कि उनवानी वादपत्र रतनलाल आदि बाकायदा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है। उक्त दावा बहूत ही मजबूत आधारो पर आधारित है। उक्त दावा बहूत ही मजबूत आधारो पर आधारित है। जिसमें आवेदक को सफलता मिलने की पूरी–पुरी आशा एंव विश्वास है। यह कि ग्राम बागोली की सरहद में वर्तमान खाता संख्या 138 की भूमि खसरा न. 760 रकबा 0.2200 है0, खसरा न. 763 रकबा 0.3300 है0, खसरा न. 764 रकबा 0.1000 है0, खसरा न. 767 रकबा 0.1600 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.8100 है0 अवस्थित है उपरोक्त भूमि विवादित है जिसे विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि आवेदक एवं अनावेदकगण की शामलाती भूमि हैं उक्त वादग्रस्त भूमि का अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। उक्त वादग्रस्त भूमि में आवेदक का 1/24 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का भी 1/24 हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/24, प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1/24, अनावेदक संख्या 1 का हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 1/12, अनावेदक संख्या 2 का हिस्सा 1/12, अनावेदक संख्या 3 का हिस्सा 1/9, प्रतिवादी संख्या 8 का हिस्सा 1/24, प्रतिवादी संख्या 9 का हिस्सा 1/24, प्रतिवादी संख्या 10 का हिस्सा 1/9, अनावेदक संख्या 4 का हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 12 का हिस्सा 1/24 व हरकोरी पत्नी चुन्नीलाल का हिस्सा 1/9 है उक्त वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा न. 763 रकबा 0.3300 है0 में से अनावेदकगण संख्या 1, 2, 4 तथा ग्यारसी देवी पत्नी गीगाराम ने अपने हिस्से में से 60 गुना 40 कुल 2400 वर्ग फिट भूमि दिनांक 23.05.2003 को जरिये नोटेरी आवेदक को विक्रय कर दी थी तथा मौके पर कब्जा आवेदक को संभला दिया था तब से लेकर आज तक आवेदक का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त भूमि आवेदक एवं अनावेदकगण की पैत्रिक व शामलाती भूमि है। उक्त वादग्रस्त भूमि का अभी तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है। कानूनन शामलाती भूमि पर प्रत्येक खातेदार का हर इंच पर कब्जा होता है लेकिन कानून को हाथ में लेकर अनावेदकगण ने उक्त भूमि में से कीमती व सड़क के सहारे की भूमि पर जबरन कब्जा करके दिनांक 24.07.2022 को निम्रण करने के लिए नींव खोदने लग गये व आवेदक ने अनावेदकगण से निवेदन किया कि आप पहले उक्त वादग्रस्त शामलाती भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर [illegible] आपके हिस्से में जो भूमि आये उसमें निर्माण कर लेना लेकिन उक्त अनावेदकगण ने आवेदक [illegible] दी कि हम बिना विधिवत विभाजन करवाये हमारी इच्छा से कीमती व सड़के के किनारे के सहारे की [illegible] निर्माण करनके तुम्हारे आने जाने का रास्ता बंद करके रहेंगे। अनावेदकगण उक्त [illegible] भूमि का बिना विधिवत विभाजन करवाये उक्त काश्त की भूमि का बिना संपरिवर्तन [illegible] सड़क के सहारे भूमि पर जबरन निर्माण करने पर आमादा है, अगर अनावेदकगण अपनी उक्त नाजायज [illegible] में सफल हो जाते

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.08.07 17:35:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

हैं तो आवेदक को अपूर्णीय क्षति कारित होगी आवेदक को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। इसलिए आवेदक को अपने अधिकारों की रक्षार्थ यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम बागोली की सरहद में स्थित भूमि खसरा न. 760 रकबा 0.2200 है0, खसरा न. 763 रकबा 0.3300 है0, खसरा न. 764 रकबा 0.1000 है0, खसरा न. 767 रकबा 0.1600 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.8100 है0 का बिना विधिवत विभाजन करवाये उक्त वादग्रस्त भूमि में मौके पर निर्माण हेतु नींव नहीं खोदे व कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे ऐसा कृत्य ना तो अनावेदकगण स्वयं करे ना ही अपने परिवारजन रिश्तेदार एजेन्ट ठेकेदार नौकर चाकर से करवाये अनावेदकगण कोई ऐसा कृत्य नहीं करे जिससे आवेदक के हक हकूक जायल होते हो तथा अनावेदकगण मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

अप्रार्थी संख्या 5 बावजूद तामील हाजिर नहीं है, अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 ने जरिये वकिल जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि का मौखिक विभाजन जवाबदेहन्दा व अन्य खातेदारों के पूर्वजों ने ही कर रखा था उसी अनुसार सभी खातेदारा काबिज काश्त है किसी भी खातेदार के उक्त मौखिक विभाजन पर कोई ऐतराज नहीं है ना ही किसी प्रकार का कोई विवाद खातेदारों के मध्य हैं जवाबदेहन्दा को भूमि विधिवत विभाजन पर किसी प्रकार कोई ऐतराज नहीं है किन्तु आवेदन पत्रा अनावेदकगणों को हैरान व परेशान करने के लिए माननीय न्यायालय में पेश किया है। आवेदक के पक्ष में ना तो सुविधा का संतुलन है ना ही आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला बनता है इसलिए आवेदक का आवेदन पत्र खारिज होने योग्य है।

बहस प्रार्थना–पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना में अंकित तथ्यो को दौहराया तथा कथन किया वादग्रस्त भूमि आवेदक एवं अनावेदकगण की पैत्रिक व शामलाती भूमि है उक्त वादग्रस्त भूमि का अभी तक विधिवित विभाजन नहीं हुआ है कानूनन शामलाती भूमि पर प्रत्येक खातेदार का हर इंच पर हक व कब्जा होता है, उक्त काश्त की भूमि का बिना संपरिवर्तन करवाये अनावेदकगण सड़के के सहारे भूमि पर निर्माण करने पर आमादा है। अतः उक्त भूमि शामलाती व पैत्रिक होने के कारण अनावेदकगण को निर्माण कार्य करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना प्रार्थनीय है। बहस के दौरान अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि विवादित भूमि का मौखिक विभाजन जवाबदेहन्दा व अन्य खातेदारों के पूर्वजों ने ही कर रखा था उसी अनुसार सभी खातेदारा काबिजकाश्त है किसी भी खातेदार के उक्त मौखिक विभाजन पर कोई ऐतराज नहीं है ना ही किसी प्रकार का कोई विवाद खातेदारों के मध्य हैं जवाबदेहन्दा को भूमि विधिवत विभाजन पर किसी प्रकार कोई ऐतराज नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को केवल हैरान व परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर रखा है। आवेदक के पक्ष में ना तो सुविधा का संतुलन है ना ही आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला बनता है इसलिए आवेदक का आवेदन पत्र खारिज होने योग्य है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। उक्त भूमि में अप्रार्थीगण रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता। उक्त विवेचन से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

6/6/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक को 06.06.2023 को मेरे द्वारा मेरे टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.08.07 17:35:21 IST
Reason: SelfAttested

6/6/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी